भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 79

जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया

पीएसजीआई कर्मचारियों हेतु वेतन संशोधन

79. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा (पीएसजीआई) कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-2024 में काफी लाभ अर्जित किया है और चार पीएसजीआई कंपनियों, कृषि बीमा कंपनी और जीआईसी री का संयुक्त लाभ लगभग 8000 करोड़ रुपये है, जबकि विगत वर्ष में लगभग 7000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएसजीआई कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 1.8.2022 से देय वेतन संशोधन का निपटान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि 1.8.2022 से देय वेतन का निपटान एलआईसी में किया जा चुका है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा (पीएसजीआई) कंपनियों, कृषि बीमा कंपनी और जीआईसी री का संयुक्त लाभ, विगत वर्ष के 3529 करोड़ रुपये (लगभग) की हानि की तुलना में 7558 करोड़ रुपये है।

(ग) से (घ): पीएसजीआई कंपनियों में वेतन का निपटान समय-समय पर, भारतीय साधारण (सार्वजानिक क्षेत्र) बीमाकर्ता संगम (जिप्सा) के माध्यम से पीएसजीआई कंपनियों और पीएसजीआई कंपनियों के कर्मचारी यूनियन/संघ के बीच सूचना के आदान-प्रदान / वार्ता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में, सरकार को ऐसा कोई वेतन संशोधन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****